

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/5603

दिनांक - 10/11/23

प्रार्थी
1 डूंगराराम पुत्र आसूराम
जाति मेघवाल निवासी मातासर
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 कानाराम पुत्र नवलाराम 2 धनाराम पुत्र रामाराम 3
तुलछाराम 4 देराजराम 5 चूनाराम पिसरान तोगाराम 6
मगाराम पुत्र आसूराम 7 दमाराम 8 नेनाराम पिसरान
मोडाराम 9 राजोदेवी पत्नी मोडाराम 10 रेखाराम पुत्र
कोजाराम 11 कुम्भाराम 12 थानाराम 13 भलाराम पिसरान
खेमाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 351/2023

दिनांक- 27/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 906/336 रकबा 2.9137 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 10/11/23

क्रमांक :- रीडर/2023/5604 to 5607
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. डूंगराराम पुत्र आसूराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कानाराम पुत्र नवलाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर